

11211


कमांक एफ 73-27/2009/20-3

भोपाल, दिनांक 30-6-9

प्रतिलिपि:-

1 सचिव अशासकीय शिक्षण संस्था सत अगस्तीन इंगिलिश मिडियल स्कूल, सेधवा जिला बड़वानी,(न०प्र०), को सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्था सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय नायिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
 - (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का सल्लाधन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जॉच. में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 2— आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।
3— जिला शिक्षा अधिकारी जिला, बड़वानी, न०प्र०।
4— ऑफिसर बुक।



अधिकारी सचिव

न०प्र० शासन स्कूल शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विमाग

मत्रालय तल्लन मवन, मोपाल -462004

क्रमांक एक 73-27 / 2009 / 20-3

भोपाल दिनांक

प्रति

सार्वजनिक

कन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल
प्रोत बिहार नई दिल्ली ।

विषयः—

अशासकीय शिक्षण संस्था सत् अगस्तीन इंग्लिश मिडियल स्कूल, सेंधावा जिला बडबानी, (म०प्र०) को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई.नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

— 888 —

राज्य शासन द्वारा विषयाकृत संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सीबीएसई / आईसीएसई से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
 - (2) संस्था की प्रबंध वारिएं समिति में जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा ।
 - (3) शिक्षण संस्था में भानूनीय लच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्रिम शासन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सी०बी० पडवार)

अवर सचिव

मंत्रीपत्रांशुसन् स्कूल शिक्षा विभाग